आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2008(2)

समक्ष म. म. कुमार और ज़ोरा सिंह माननीय न्यायमूर्ति

वेद प्रकाश गुप्ता, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड और अन्य, -प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी नंबर 2157/2007 3 सितंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950 —अनुच्छेद *226* — उपभोक्ताओं के हरियाणा राज्य महासंघ के कर्मचारी सेवा नियम ' सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड-आरएलएस. 26.1 और 30 — सेवा से बर्खास्तगी- कर्तव्यों के प्रदर्शन में लापरवाही से प्रभावित होने वाले नुकसान के एक जिला प्रबंधक के खिलाफ आरोप — जांच अधिकारी को आरोपों का दोषी पाते हैं — उत्तर पर विचार करने के बाद दंडित प्राधिकरण याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दंड देने के लिए सुनवाई प्रदान करना — अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील की अस्वीकृति — चुनौती — अपीलीय प्राधिकरण R1 के तहत आवश्यक कारणों को रिकॉर्ड करने में विफल. 30 — अपील के निर्णय के दौरान कार्यवाही में भाग लेने के साथ-साथ एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाले निदेशक के प्रबंध निदेशक — कानून में स्वीकार्य नहीं —,याचिका मंजूर निर्णय लेने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया मामला.

अभिनिर्धारित किया , कि नियम 30.3 का नियम अपीलीय प्राधिकारी को मामले पर विचार करने का दायित्व देता है, जिसका अर्थ है वस्तुनिष्ठ विचार के बाद इसके द्वारा एक उद्देश्य पर विचार करना, जिसका अर्थ है कि इसके निर्णय के कारण की अभिलेख करना | सजा की मात्रा के खिलाफ कारण दिखाने के लिए एक अपचारी कर्मचारी के अधिकार को समाप्त करने के अनुच्छेद 311 (2) में किए गए संशोधन के बाद कारण अभिलेख करने का कर्तव्य और भी स्पष्ट हो गया है| यह दायित्व बनता है की कारण केअभिलेख पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए अंतिम मंच है. न्यायालयों को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के साथ छेड़छाड़ करने और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि या भंग करने की अनुमति नहीं है इसलिए, यह अवलंबी है अपीलीय प्राधिकरण उन कारणों काअभिलेख करे जो अपीलीय प्राधिकरण को साक्ष्य और निष्कर्ष तक पहुंचने की आवश्यक कड़ी_प्रदान करते हैं|

(पैरा ९ और १०)

आगे अभिनिर्धारित किया कि श्री आर. पी. जोवल निदेशक मंडल-अपीलीय प्राधिकरण की बैठक में बैठने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि उन्होंने खुद सजा का आदेश पारित किया है, जो निदेशक मंडल के समक्ष अपील का विषय था. यह अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश बनने के लिए समान होगा जो कानून में अभेद्य है.

(पैरा 13)

अनुराग गोयल, याचिकाकर्ता के लिए वकील.

सुश्री ममता सिंहल तलवार, एएजी, हरियाणा.

राजेश गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी 1 और 2 के लिए.

म. म. कुमार,.न्यायमूर्ति

(१) याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिका दायर करके हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (के लिए) के प्रबंध निदेशक द्वारा पारित 21 सितंबर, 2005 (पी -7) के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है। संक्षिप्तता, 'द कन्फेड'), उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। उपरोक्त आदेश को अपीलीय प्राधिकारी-निदेशक मंडल द्वारा भी बरकरार रखा गया है।

(२) मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिसके कारण तत्काल याचिका दायर की गई है, यह है कि याचिकाकर्ता को 27 अक्टूबर, 1975 को कॉन्फेड-प्रतिवादी में महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2001-2002 में जब वह जिला कार्यालय करनाल में जिला प्रबंधक के रूप में तैनात थे, तो उन्हें नियमित विभागीय जांच के मद्देनजर 11 जून, 2002 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था। 15 दिसंबर, 2003 को उन्हें हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') के कर्मचारी सेवा नियमों के नियम 26.1 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कर्तव्य के पालन में लापरवाही जैसे कई भूल-चूक वाले कृत्य किए हैं जिसके कारण कॉन्फेड को नुकसान हुआ, जो नियमों के नियम 26.1 के तहत कदाचार है। एक विभागीय जांच हुई और जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को उन आरोपों का दोषी पाया गया। उन्हें दंड प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से यह राय व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष सहमत थे और सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया जिस पर प्रबंध निदेशक-सह-दंड प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने के बाद विधिवत विचार किया गया। प्रबंध निदेशक-सह-दण्ड प्राधिकारी द्वारा व्यक्त विचार उनके आदेश के अंतिम दो पैराग्राफ से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:-

“श्री वी.पी. जीएम (यू/एस) गुप्ता 17 अगस्त, 2005 को उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में उपस्थित थे, - पत्र संख्या स्था./ईए-2/5551-52, दिनांक 11 जुलाई, 2005 के तहत। मैंने श्री को सुना वी.पी. गुप्ता, जीएम (यू/एस) और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, उन्होंने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। मैंने रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और मैं जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हूं। वह अपने बचाव में कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे।श्री वी.पी. गुप्ता, की लापरवाही के कारण कॉन्फेड को लगभग 92.00 लाख रुपये का नुकसान हुआ। श्री वी.पी. के रूप में गुप्ता ने मेसर्स महाबीर राइस मिल, इंद्री के साथ एक समझौता किया जो दोषपूर्ण/उचित नहीं था क्योंकि साझेदार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। वह मेसर्स महाबीर राइस मिल, इंद्री के साथ उचित समझौते को निष्पादित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप सीएमआर की डिलीवरी नहीं हुई। वह करनाल के उपायुक्त

की अध्यक्षता वाली जिला मिलिंग समिति से अनुमोदन लेने में भी विफल रहे, जो धान का स्टॉक देने से पहले अनिवार्य था उन्होंने उस फर्म के साथ सही (?) किया, जो पंजीकृत ही नहीं थी। इसलिए फर्म फर्जी थी। दूसरे, उन्होंने कोई बैठक बुलाने का मन नहीं बनाया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त को करनी थी। तीसरा, उन्होंने इसे अंतिम मंजूरी के लिए हेड ऑफिस भी नहीं भेजा. यह सब पार्टियों के साथ उनकी पूर्ण मिलीभगत को स्थापित करता है। अगर यह सब नहीं होता तो कॉन्फेड को करीब 50 करोड़ रुपये का नुकसान होने से बचाया जा सकता था। 1.00 करोड़ (लगभग). ऐसे कर्मी सेवा में दुष्ट हैं और उन्हें कोई अधिकार नहीं है पिछला असंतोषजनक सेवा रिकार्ड, बर्खास्तगी की प्रस्तावित सजा की पुष्टि की जाती है और श्री वी.पी. जीएम गुप्ता को तत्काल प्रभाव से कॉन्फेड की सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
मैं तदनुसार आदेश देता हूं। ”

(३) बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने नियमावली के नियम 30 के तहत अपील दायर की। निदेशक मंडल-अपीलीय प्राधिकरण ने 13 दिसंबर, 2006 और 28 दिसंबर, 2006 को आयोजित अपनी बैठकों में अपील को खारिज कर दिया है। एजेंडा आइटम नंबर 3 को लिया गया था और निदेशक मंडल ने निर्णय लिया था जो निम्नानुसार है:

“ बोर्ड ने श्री वी.पी. द्वारा प्रस्तुत सबमिशन के साथ इस मामले पर विचार किया. गुप्ता ने अपनी अपील में और साथ ही 13 दिसंबर, 2006 को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बोर्ड को सौंपे गए अपने प्रतिनिधित्व में अतिरिक्त अंक जुटाए. 21 सितंबर, 2005 को बर्खास्तगी आदेश की सामग्री का दुरुपयोग किया गया था और श्री वी.पी. रखने के लिए तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए तर्क. आरोपों के दोषी गुप्ता पर विस्तार से चर्चा की गई. उचित विचार-विमर्श के बाद, यह हल किया गया कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं है और इस क्रम में हस्तक्षेप करने के लिए कोई वैध आधार नहीं हैं. इसलिए, बोर्ड ने श्री वी.पी. की अपील को अस्वीकार करने का संकल्प लिया. गुप्ता ...... ”
(४) याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि २१ सितंबर, २००५ (पी -7) का आदेश श्री आर.आर. जोवेल, जो उस समय के प्रबंध निदेशक थे. ग्राउंड (बी) पैरा 11 की एक धारणा से पता चलता है कि जब तक याचिकाकर्ता की अपील पर विचार किया जाना था, श्री आर.आर. जोवेल को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, हरियाणा के रूप में नियुक्त किया गया था और वह निदेशक-अपीलीय प्राधिकरण के बोर्ड के पदेन सदस्य थे. याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि श्री आर. आर. जौवेल ने अपनी अपील तय करते हुए कार्यवाही में भाग लिया. याचिकाकर्ता द्वारा लिखित बयान में उत्तरदाताओं द्वारा पूर्वोक्त औसत विवादित नहीं है.

(५) श्री अनुराग गोयल, याचिकाकर्ता के लिए वकील ने हमारे सामने दो प्रस्तुतियाँ दी हैं. सबसे पहले, उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह के सिद्धांत में रेंगना होगा, एक बार श्री आर.आर. याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए जोवेल ने कार्यवाही में भाग लिया. उन्होंने आगे कहा है कि नियमों के नियम 30 के अनुसार, बोर्ड को कारणों को दर्ज करके याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना आवश्यक था. सीखा वकील के अनुसार, आदेश गुप्त है और बिना किसी कारण के. अपने सबमिशन के समर्थन में, सीखा वकील ने अमर नाथ चौधरी बनाम ब्रेथवेट एंड कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के माननीय के फैसले पर निर्भरता रखी है. लिमिटेड, (1), और हरि सिंह बनाम पंजाब राज्य (2) के मामले में इस न्यायालय का एक डिवीजन बेंच निर्णय, और तर्क दिया कि दोनों मुद्दों पर, मामला याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ कवर किया गया है.

(६) श्री राजेश गर्ग, प्रतिवादी १ और २ के लिए वकील सीखा, हालांकि, तर्क दिया कि अपीलीय आदेश की पुष्टि के आदेश के बाद किसी भी विस्तृत कारण को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी. सीखा वकील के अनुसार, बोर्ड ने याचिकाकर्ता के मामले पर विस्तार से विचार किया है, जो नियमों के नियम 30 की आवश्यकता को पूरा करता है. श्री गर्ग ने आगे कहा है कि श्री आर.आर. की उपस्थिति के कारण कोई अवैधता या पूर्वाग्रह नहीं है. जौवेल क्योंकि बोर्ड के अन्य सदस्य भी विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित थे.

(() पार्टियों के लिए सीखा वकील सुनने और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक को भ्रमित करने के बाद, हमारा विचार है कि यह याचिका इस हद तक स्वीकृति प्रदान करती है कि अपीलीय आदेश नियमों के नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं किया गया है. यह नियमों के नियम 30 की जांच करने के लिए उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार पढ़ता है: —

" 30. अपील

30.1 सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ एक अपील जो कि 20 के तहत जुर्माना लगाती है, नियम 29 के कॉलम 3 में उल्लिखित अधिकारियों के साथ होगी.

30.2 कोई अपील तब तक मनोरंजन नहीं की जाएगी जब तक कि यह आदेश के संचार की तारीख से 3 0 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है.

अपीलीय प्राधिकारी, हालांकि, उक्त तिथि के 60 दिनों के भीतर किसी भी अपील का मनोरंजन कर सकता है यदि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण है.

30.3 अपीलीय प्राधिकरण मामले पर विचार करने के बाद हो सकता है: —

(i) दंड को अलग करना, कम करना, पुष्टि करना या बढ़ाना; या

(ii) मामले को उस प्राधिकरण को प्रस्तुत करें जिसने इस तरह के निर्देशों के साथ जुर्माना लगाया है क्योंकि यह मामले में फिट हो सकता है.

30.4 सभी अपीलें अपील की प्राप्ति की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर तय की जाएंगी। "

(() नियमों के नियम ३० का एक अनुमान यह स्पष्ट करता है कि एक अपील सक्षम होगी और उसी को तारीख से ३० दिनों की अवधि के भीतर मनोरंजन किया जाना है अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश का संचार. हालांकि,

अपीलकर्ता के पास 60 दिनों के भीतर भी मनोरंजन किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता के पास 30 दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण है. नियमों के नियम 30.3 के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी को दंड को कम करने, पुष्टि करने या मंत्रमुग्ध करने से पहले एक अपराधी अधिकारी के मामले पर विचार करना आवश्यक है. अभिव्यक्ति का उपयोग ‘ विचार ’ कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए निदेशक मंडल-अपील प्राधिकरण पर एक दायित्व लागू करता है. राम चंदर बनाम भारत संघ (3) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे सेवकों (अनुशासनात्मक और अपील) नियमों, 1968 के नियम 22 (2) की व्याख्या की, जिसने अभिव्यक्ति का उपयोग किया ‘ ’ पर विचार करें. उपर्युक्त नियम की व्याख्या करते हुए, उनके ‘ आधिपत्य ’ के तहत देखा गया है: —

“ ..... क़ानून या नियमों में आवश्यकता के अभाव में,

अपीलीय प्राधिकारी पर कोई शुल्क नहीं दिया जाता है ताकि वे कारण बता सकें जहां आदेश की पुष्टि हो. यहाँ, रेलवे सेवकों के नियमों के नियम 22 (2) में स्पष्ट शब्दों में रेलवे बोर्ड को तीन पहलुओं पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करने की आवश्यकता है

उसमें कहा गया है. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 27 (2) के तहत समान आवश्यकताएं हैं. नियम 22 (2) यह प्रदान करता है कि नियम 6 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने या उक्त नियम के तहत लगाए गए किसी भी दंड को बढ़ाने के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी ‘ पर विचार करेगा ’ जैसा कि उसमें इंगित मामलों के लिए है. शब्द ‘ पर विचार करें ’ का अर्थ अलग-अलग शेड्स हैं और नियम 22 (2) में होना चाहिए, जिस संदर्भ में यह प्रकट होता है, मन के उचित आवेदन के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण विचार का अर्थ है जो इसके निर्णय के कारणों को बताता है। ”

(९) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियमों के नियम ३०.३ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले पर विचार करने का दायित्व दिया गया है, जिसका अर्थ होगा मन के उचित अनुप्रयोग के बाद इसके द्वारा एक उद्देश्य पर विचार करना, जो इसके निर्णय के कारण की रिकॉर्डिंग का अर्थ है. अनुच्छेद 311 (2) में किए गए संशोधन के बाद सजा दर्ज करने का कर्तव्य और भी स्पष्ट हो गया है, जो सजा की मात्रा के खिलाफ कारण दिखाने के लिए एक अपराधी कर्मचारी के अधिकार को समाप्त कर देता है. भारत के संघ बनाम तुलसी राम पटेल (4) के मामले में दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रावधान की व्याख्या की गई है. उपर्युक्त पहलू का पालन करते हुए, उनके आधिपत्य ’ ने राम चंदर (सुप्रा) के मामले में आगे देखा है: —

“ संशोधन के बाद, क्लॉज (2) की आवश्यकता एक जांच आयोजित करके संतुष्ट होगी जिसमें सरकारी नौकर को उसके खिलाफ आरोपों की सूचना दी गई है और उसे सुनने का उचित अवसर दिया गया है. लेकिन दूसरे चरण में अपनी बेगुनाही दिखाने की आवश्यक सुरक्षा यानी. अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा साक्ष्य के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा पहुंचे निष्कर्षों के एक निष्कर्ष पर अपराध के एक अस्थायी निष्कर्ष पर आने के बाद, प्रस्तावित सजा के खिलाफ भी, अपराधी अधिकारी की निंदा के लिए हटा दिया गया है .... ”

(१०) हम इस दृष्टिकोण से आगे हैं कि रिकॉर्ड कारण के दायित्व पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण है

तथ्य के निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने के लिए अंतिम मंच. न्यायालयों को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि या भंग कर दिया गया है. वहाँ, यह अपीलीय प्राधिकरण पर उन कारणों को दर्ज करने के लिए अवलंबित है जो अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य के बीच आवश्यक लिंक प्रदान करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं. इस संबंध में भारत के संघ बनाम मोहन लाइ कोपूर (5) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय के निर्णय पर निर्भरता हो सकती है, जिसमें उनके आधिपत्य ' के तहत देखा गया है: —

"....कारण उन सामग्रियों के बीच संबंध हैं जिन पर कुछ निश्चित है
निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष हैं. वे खुलासा करते हैं कि किसी निर्णय के लिए मन को विषय पर कैसे लागू किया जाता है, चाहे वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक हो या क्वासिजुडियल. उन्हें विचार किए गए तथ्यों और निष्कर्षों के बीच एक तर्कसंगत सांठगांठ प्रकट करनी चाहिए. केवल इस तरह से दर्ज की गई राय या निर्णय को स्पष्ट रूप से उचित और उचित दिखाया जा सकता है. हमें लगता है कि यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि चयन समिति द्वारा एक निश्चित प्रकार की प्रक्रिया को पारित किया गया था. यह वह सब है जो कारणों का माना हुआ विवरण है. इसलिए, हम सोचते हैं कि विनियमन 5 (5) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था. हमें लगता है कि इस तरह के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन न करने के प्रभाव से संबंधित इस न्यायालय के दो निर्णयों पर उत्तरदाताओं द्वारा निर्भरता को सही तरीके से रखा गया था. ये थे: एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता बनाम इसके कार्यकर्ता, AIR 1967 SC 284 और मोरीघियर बनाम केशव प्रसाद गोयनका के कलेक्टर, (1963) 1 एससीआर 98 = (AIR 1962 SC 1694)। "

(११) उपर्युक्त चर्चा से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा उठाया गया तर्क मेधावी है और अमर नाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय के फैसले पर उसकी निर्भरता है चौधरी (सुप्रा) भी स्वीकार्य है.

(१२) श्री आर की भागीदारी से संबंधित दूसरा मुद्दा. आर. जोवेल याचिकाकर्ता के पक्ष में जवाब देने के लिए भी उत्तरदायी है
श्री आर. आर. याचिकाकर्ता की अपील को सुनते हुए जोवेल निदेशक मंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते थे. उनकी भागीदारी का याचिकाकर्ता के अधिकारों पर पूर्वाग्रहपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते थे. यह अच्छी तरह से तय है कि कोई भी व्यक्ति अपने कारण से न्यायाधीश नहीं हो सकता है. यह कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में है कि अमर नाथ चौधरी के मामले (सुप्रा) में, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अलग रखा गया था और निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे: —

" 6. प्राकृतिक जे ustice के सिद्धांत में से एक यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश नहीं होगा या सहायक प्राधिकारी निष्पक्ष होना चाहिए और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना कार्य करना चाहिए. पूर्वाग्रह के खिलाफ उक्त नियम की उत्पत्ति प्रोमेसा कारण में नेमो डिबेट निबंध ज्यूडेक्स के रूप में ज्ञात अधिकतम से हुई है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि प्रकट रूप से किया जाना चाहिए. यह केवल तभी संभव हो सकता है जब कोई न्यायाधीश या एक सहायक प्राधिकारी निष्पक्ष रूप से और

किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को ले जाने के बिना मामले का फैसला करता है. पूर्वाग्रह अलग तरह और रूप के हो सकते हैं. यह व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है या विषय-वस्तु आदि के रूप में पूर्वाग्रह हो सकता है. वर्तमान मामले में, हम पूर्वाग्रह के किसी भी पूर्वोक्त रूप से चिंतित नहीं हैं. वर्तमान मामले में हम जिस चीज से चिंतित हैं, वह यह है कि क्या कोई प्राधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण की क्षमता में पारित अपने स्वयं के आदेश को स्वीकार कर सकता है, वित्तीय आयुक्त (कराधान) में पंजाब और अन्य बनाम हरभियान सिन्श (1996) 9 एससीसी 281, यह माना गया कि निपटान अधिकारी के पास अपीलीय प्राधिकरण के रूप में उसके द्वारा पारित आदेश पर बैठने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. वर्तमान मामले में, बोर्ड के समक्ष अपील का विषय यह था कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित हटाने का आदेश कानून के अनुरूप था. यह विवादित नहीं है कि श्री एस. कृष्णस्वामी, कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के साथ-साथ एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया जब उन्होंने बोर्ड की बैठक के विचार-विमर्श में भाग लिया और भाग लिया अपीलकर्ता की अपील का निर्णय लेते समय. पूर्वाग्रह के खिलाफ स्थापित नियम के आधार पर इस तरह के दोहरे कार्य की अनुमति नहीं है, (जोर के लिए रेखांकित)

(१३) जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री आर. आर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स-अपील प्राधिकरण की बैठक में बैठने के लिए जोवेल सक्षम नहीं थे क्योंकि उन्होंने खुद सजा का आदेश पारित किया है, जो निदेशक मंडल के समक्ष अपील का विषय था. यह अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश बनने के लिए टेंटमाउंट होगा जो कानून में अभेद्य है.

(१४) उपर्युक्त कारणों के लिए, रिट याचिका इस हद तक सफल होती है कि अपीलीय आदेश कानून के अनुसार पारित नहीं किया गया है. तदनुसार, 29 दिसंबर, 2006 (पी -9) के अपीलीय आदेश को अलग रखा गया है. इस मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए निदेशक मंडल को वापस भेज दिया गया है. निदेशक मंडल इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर मामले को तेजी से तय करेगा.

(१५) रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में निपटाया गया है.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा